अचंल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या- 98 / 2016-17

वाद का प्रकार – सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने म

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम- सुखु चमार

पिता/पति- कुद्दु चमार

मौजा प्रतापपुर थाना नम्बर- 335 अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर- 29 दाग नम्बर- 57 रकवा- 00-02-08 धुर 0.050570

तिथि	आदेश
19.10.16	मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 264/भू०सु० गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रा० दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियिम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रा० दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रा० दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई। उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत सुखु चमार पिता/पति कुद्दु चमार मौजा- प्रतापपुर को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक 28.10.16 को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें। लेखापित। 19.10.16 अंचल अधिकारी मेहरमा। 19.10.16 अंचल अधिकारी मेहरमा।

28.10.16 अभिलेख उपस्थापित / गोड़डा में बैठक, अभिलेख दिनांक 04.11.16 को उपस्थापित करें।
ले०स्थापित

अ०ह०अ०
मेहरमा

अंचल अधिकारी
मेहरमा

15/09/2022 अभिलेख उपस्थापित। वादी को पुन: सूचना निर्गत कर । साक्ष्य हेतु दिनांक 27/09/2022 को प्रस्तुत करें

अं०अ०

29/11/2022 अभिलेख उपस्थापित। वादी के पतीदार रतन केवट, पिता- स्व॰ दुर्गा केवट, मौजा- प्रतापपुर द्वारा दस्तावेज व कुछ कागजात पत्र दाखिल प्रति संलग्न किया गया है।
प्रस्तुत पत्रों में मौजा प्रतापपुर जं॰ 335 के गैरमजरुआ खाता के जमाबंदी खेसरा 56 के कुल 19 एकड़ 10 डी॰ और दखलकार (अनुमति- पत्र, शपथ-पत्र, ... देह दखल) आ संदेह से परे है।
अत: वादी के वाद को खारिज किया जाता है तदनुसार वजूद (?) ।

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2023.03.06 11:19:51 +05:30
Location: 10.93.147.47

संचिका।

अं०अ०

29.11.22
अं०अ०